निग/2876/PBR/15

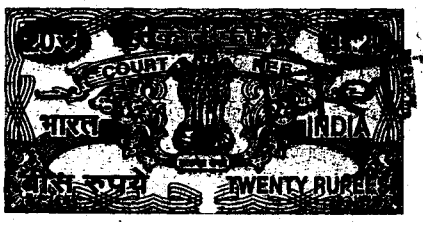

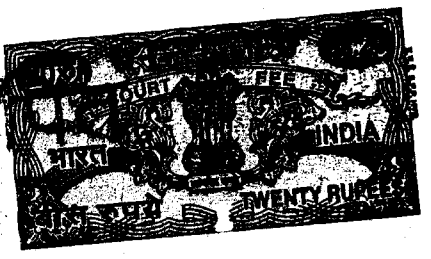

न्यायालयः- माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण कं. /15 रिव्यू पिटीशन

श्री शंकर सिंह तोमर द्वारा आज दि. 31-8-15 को प्रस्तुत
कलर्क ऑफ कोर्ट 31/8/15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. विनोद पुत्र श्री छत्रपाल सिंह आयु- लगभग 50 वर्ष,
2. भोलाराम पुत्र श्री छत्रपाल सिंह आयु- लगभग 60 वर्ष
निवासीगण- ग्राम छीमक, तहसील डबरा, जिला-ग्वालियर (म0प्र0)

.....आवेदकगण

बनाम

1. खलकू राम पुत्र श्री झींगुरिया
2. अतर सिंह पुत्र श्री खलकू राम
3. श्रीमती सीमा पत्नि श्री छोटे लाल
समस्त निवासीगण- ग्राम छीमक, तहसील डबरा, जिला-ग्वालियर (म0प्र0)
4. नायब तहसीलदार वृत्त तहसील डबरा जिला ग्वालियर (म0प्र0)
5. अनुविभीगीय अधिकारी तहसील डबरा, जिला-ग्वालियर (म0प्र0)

.......अनावेदकगण

शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
31-08-2015

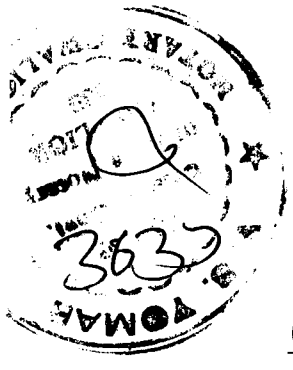

आवेदन-पत्र वास्ते आदेश दिनांक 06.08.2015 (अनेक्चर पी-1) का पुनर्विलोकन किये जाने बावत् जो माननीय (पी.बी.आर. राजस्व मंडल) अध्यक्ष श्री मनोज गोयल महोदय द्वारा प्रकरण कमांक-निगरानी 2363 पी. बी.आर.-15 में पारित किया गया हैं।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक Rev 2876–PBR/15 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–9–2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :– (1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी ; या (2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती ; या (3) अन्य कोई पर्याप्त आधार । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता हैं । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	